

25/11/24

पत्रावली पेश हुई। अधिकांश उक्त पत्र  
उपस्थित । दस्तावेज प्रतीना फा अन्तर्गत  
धारा 136 LR Act के अन्तर्गत प्रस्तुत  
कर प्रतीने रकबा कमी-पूर्ति की  
सहायता चाही है, रकबा कमी-पूर्ति  
से प्रतीने के एक में अधिकांश का  
सूजन होगा। माननीय उच्चतम द्वारा

नामांकन 2015 RRT page 10 (जो माधुसूदन यादव)

श्री परमेश्वर बनाम नौरंग एवं अन्य 2022 (2)

RRT 1284 में यह सिद्धांत प्रतिपादित  
किया है कि "राजस्थान शू-राज्य अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रतीना  
फा में पक्षकारों के अधिकार निर्धारित  
नहीं किए जा सकते हैं।"

(अजिता सहस्रवती)  
उपखण्ड अधिकारी अन्ता  
जिला बारा (राज०)

३०! दरमगल प्रथीना पाग अधिकारी से  
 सुकन ले संबधित हान के कारन  
 पौचर्कम नही होने से अस्वाकार कर  
 खारिज किया जाता है । यदि प्रथी  
 कोई एक-दुसरे निर्धारित करवना  
 चाहते हैं तो रेगुलर सूट में आये  
 नियम से इफलास पढकर पुनामा  
 गवा पतावली मिल शुमार होकर  
 नम्बर दे कम है।

(अंजना सहरावत)  
 उपखण्ड अधिकारी अन्ता  
 जिला बारां (राज०)